



9414408726 (M)
yadvdk71@gmail.com
incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक/कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2019/122-27

दिनांक 11.07.2019

खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र के फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक, ड्राइवर आपूर्ति हेतु पंजीकृत संस्था/पंजीकृत प्लेंसमेंट एजेंसीयो से दिनांक 23.07.19 को दोपहर बाद 2.0 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है एवं निविदाएं दिनांक 24.07.19 को श्रीमान निदेशक, राज. कृषि अनु. संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनु.लागत Rs(lakhs)	बोली प्रति भूति राशी (in Rs)	कार्य समय सीमा
1.	फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक व्यवस्था 1. अकुशल श्रमिक 2. कुशल श्रमिक/ड्राइवर	3.5	7000.00	31.7.2020

- 1 निविदा फार्म के साथ बोली प्रति भूति राशी का डिमांड ड्राफ्ट/बी.सी कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 2 निविदा फार्मरु 500/-जमा कर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नियम व शर्तें फार्म के साथ रहेंगे।
- 3 अपलोड निविदाफार्म भरनेपर निविदा फार्म का शुल्क रु. 500/- का डीडी/बी.सी पृथक से जमा कराना होगा।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् वित्तनियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 24.07.19 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
4. श्रीमान् राजस्थान समवाद,,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
5. सीमका ईचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय, की बेबसाइट एवं SPPP Portal पर अपलोड करने का श्रम करावें।
6. सूचना पट्ट, कार्यालय
7. आरक्षित प्रति

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर

**श्रमिक, ड्राईवर आपूर्ति
तकनीकी निविदा प्रपत्र**

निविदादाता फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :-

1. बोली प्रतिभूति राषि डी.डी.सं./ बैंकर्स चैक सं..... दिनांक
... राषि.....
2. जी.एस.टी.नं. (छाया प्रति संलग्न करें)
3. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
5. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
6. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नान ज्यूडिषियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा।
7. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा
8. निविदा सील लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. श्रमिकों को कृषि कार्य के हेतु जैसे निराई/गुड़ाई/कटाई/सिंचाई/ दवाईयों का छिड़काव/ थ्रेसिंग कार्य /नर्सरी कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
10. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चातकोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
11. निविदा दिनांक 24.07.2019 को दोपहर 12.00 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
12. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोटपूतली रहेगा।
13. धरोहर राषि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
- 14-Registration of Labour Department (Photo Copy)
- 15-Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)
- 16-PAN No.(Photo Copy)
- 17-Experience of two year in Rajasthan Govt. Department
18. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
19. अपलोड निविदाफार्म भरनेपर निविदा फार्म का शुल्क रु. 500/- का डीडी/बी.सी पृथक से संलग्न करें।

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर
निविदा प्रपत्र

इस केन्द्र के फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक, ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा।

1. योजना का नाम:	i. RKVY (RKVY-23 ARSS-Gonera) ii. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र फार्म के कार्य (Revolving found/ 2K Non Plan) ii AINRP on Onion & Garlic (7t-156)
2. बजट मद:	i. RKVY-23 ARSS-Gonera ii. Revolving found/ 2K Non Plan iii 7t-156
3. कार्य की अनुमानित अवधि:	01.08.2019 से 31.07.2020
4. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि:	बैंकर <u>चैक/डिमाण्ड</u> ड्रॉफ्ट द्वारा रुपये कुल धरोहर राशि 17500/- का 2% (रुपये 7000/-) निविदा फार्म के साथ शेष निविदा पक्ष में छुटने पर 3% (रुपये 10500/-)
5. निविदा फार्म की कीमत	: रुपये 500/-
6. निविदा संदर्भ	: फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक, ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा।
7. निविदा प्रपत्र	: एक
8. निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक	: कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक
9. निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि	: 23.07.2019 दोपहर बाद 2.00 बजे तक
10. निविदा खोलने की तिथि	: 24.07.2019 दोपहर बाद 12.00 बजे
11. निविदा खोलने का स्थान	: श्रीमान निदेशक, राज कृषि अनु. संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर
12. पत्र व्यवहार हेतु पता	: प्रभारी अधिकारणी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर
13. फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूचि में नहीं है।	
14. छरें प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।	

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु अकुषल श्रमिक एवं कुषल श्रमिक/ ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा। संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखें।)

क्रस.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षरमय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
(श्रीकृष्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर 9414408726
वित्तीय निविदा प्रपत्र

(II)-श्रमिक आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

क्रस	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या			EPF दरप्रतिशत (13.36%)	ESI दर प्रतिशत (4.75%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित संख्या (1350)	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अकुशल	225					
2		कुशल श्रमिक / ड्राईवर	249					

* ESI दर यदि कोटपूतली में देय है तो उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।

कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्र में आने पर ईपीएफ एवं ईएसआई तदनानुसार संशोधित दर पर दी जावेगी।

Note: GST दर नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

निविदा की शर्तें :-

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को अगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को अगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग कर अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधिके अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालन नहीं की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.आई.एस करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।
15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृत प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
16. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी
17. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबन्द में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनडा कोटपूतली को लिफाफे के उपर निविदा " कार्य अनुबन्ध " लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की काट-छोट स्वीकृत नहीं की जावेगी।
18. निविदादाता (टेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही निविदा फार्म प्रस्तुत करें। निविदा फार्म के लिए धरोहर राशि रू० 17500/- का 2% (रूपये 7000/-) शेष निविदा पक्ष में छुटने पर 3% (रूपये 10500/-) जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। इस कार्य की अनुमानित लागत 3.50 लाख रूपये है।
19. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवश्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा, बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
20. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलों का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। टेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दरों (वेतन) से कम भुगतान नहीं करना होगा।
21. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से 31.07.2020 तक के लिए मान्य होगी।
22. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
23. निविदादाता द्वारा लगायें गये श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।
24. निविदादाता को अपना आई.डी. प्रूफ व मोबाईल नम्बर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
25. विभिन्न कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार फार्म इन्चार्ज/फार्म मैनेजर या प्रभारी अधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेंगे और उसी आधार पर टेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। टेकेदार को रात्रि में फसलों की सिंचाई व अन्य कार्य जैसे चौकीदारी आदि केवल पुरुष श्रमिकों से ही करवाना होगा।
26. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि अनुसंधान उप केन्द्र में उपस्थित रहना होगा। कृषि अनुसंधान उप केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिकों की संख्या व दिनांक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।

27. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
28. यदि निविदादाता (टेकेदार) द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर टेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि कृषि अनुसंधान उप केन्द्र उसकी अमानत में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर टेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
29. यदि निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
30. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यों की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कृषि अनुसंधान उप केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान द्वारा जमा अमानत राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो कृषि अनुसंधान उप केन्द्र को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
31. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने संबंधी एक अनुबन्ध पत्र 500/-रु का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर टेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।
32. ड्राईवर के पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है।
33. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनडा को होगा।

उक्त निविदा की शर्तों को मैंने भली भाँति पढ लिया है और समझ लिया है, मैं इनसे सहमत हूँ और इनका पालन करूँगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर